## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
### पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2025/297
मुकदमा नम्बर 92/2025 दावा दर्ज दिनांक–28.05.2025

1. देवकी नन्दन पुत्र बुद्वराम जोशी
2. दलीप कुमार पुत्र बुद्वराम जोशी
3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बुद्वराम जोशी
4. प्रकाशचन्द पुत्र बुद्वराम जोशी समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण पोदार कॉलेज के सामने नवलगढ,तहसील नवलगढ, जिला झुझुनूं

–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–प्रतिवादी

**दावा – घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती**

वकील वादी : – श्री विप्लव पण्डित
प्रतिवादी :– पैरो. राज.

**:: निर्णय ::** **निर्णय दिनांक 19.09.2025**

वादी वादी इस कदर पेश किया गया कि, कस्बा नवलगढ में लक्ष्मीनारायण व रामनाथ नाम के व्यक्ति पैदा हुये जो फौत हो चूके है जिसकी वंशावली वाद में पेश है।

यह कि कस्बा नवलगढ़ में पोदार कॉलेज के सामने घूमचक्कर से बाजार की तरफ जाने वाली सड़क स्टेशन रोड़ से उत्तर दिशा में आवासीय पट्टा शुदा भूखण्ड स्थित है उक्त भूखण्ड का पट्टा संख्या 97 ठिकाना नवलगढ़ द्वारा दिनांक 10.09.1934 को ठा० रावल मदन सिंह द्वारा लक्ष्मीनारायण व रूघनाथ के नाम से जारी शुदा है जिनका उक्त भूखण्ड में प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा था। लक्ष्मीनारायण के वारिसान सत्यदेव व शारदा ने अपना हिस्सा वादीगण की माता गीता देवी को जरिये रजिस्टर्ड गिफ्ट डीट दिनांक 07.04.2017 को गिफ्ट कर दिया वादीगण की माता गीता देवी की मृत्यु हो चुकी है जिनके हिस्से की भूमि पर वादीगण काबिज है तथा 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता बुद्धरामजी का था जो फौत हो चुके है वादीगण बुद्धरामजी के उत्तराधिकारी है अर्थात उक्त आवासीय पट्टेशुदा भूखण्ड के वादीगण स्वामित्वधारी है तथा काबिज है मौके पर आवासीय मकानात बना रखे है तथा उत्तर की तरफ

उपखण्ड अधिकारी

की जमीन जो जरिये गिफ्ट डीड द्वारा प्राप्त की गई है खाली पड़ी है जिसमें वादीगण का सामान पड़ा हुआ है उक्त भूखण्ड मकानात को आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से दर्ज किया गया है।

यह कि विवादित भूमि पट्टशुदा आबादी भूमि है परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने पट्टशुदा आबादी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि के रूप में दर्ज कर रखा है जो ग्राम नवलगढ़ की सरहद में खाता संख्या 446 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 1533 रकबा 0.20 है० के रूप में दर्ज है।

यह कि विवादित भूमि आवासीय भूमि है जिसका ठिकाना नवलगढ़ द्वारा विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान प्रांत में जागीरी प्रथा प्रचलित थी जागीरी समय में जितनी भूमि थी ठिकाने के अधीन थी ठिकाना समस्त भूमि का मालिक था ठिकाना लोगो को बसने के लिए भूमि देता था तथा इसी अनुसार कृषि भूमि को लगान के बदले काश्त करने हेतु देता था अर्थात समस्त भूमि का ठिकाना सर्वे सर्वा था। सन् 1952 में जागीरी खालसा हुई तब लोगो को सन् 1955 में खातेदारी अधिकार प्रदत किये गये। सन् 1955 से पहले किसी को भी खातेदारी अधिकारी कानून के तहत नहीं थे। विवादित भूमि के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व सन् 1934 को भूमि के मालिक व सर्वे सर्वा ठिकानेदार ने पट्टा जारी किया अर्थात भूमि 1934 में ही रूघनाथ व लक्ष्मीनारायण को आवासीय प्रयोजन के लिए दे दी गई इसलिए विवादित भूमि आवासीय प्रयोजन की है परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने आवासीय पट्टशुदा भूमि के संबंध में गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड अभिलिखित करके कृषि भूमि के रूप में दर्ज कर दिया जो विरूद्ध कानून है। जब सन् 1934 में पट्टा जारी कर दिया जो पट्टशुदा भूमि का राजस्व रिकॉर्ड बनाया जाना कानूनन गलत है इसलिए राजस्व रिकॉर्ड निरस्तनीय है फलस्वरूप विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड निरस्त कर विवादित भूमि का रिकॉर्ड में आबादी भूमि का उल्लेख किया जावें तथा इस आशय की घोषणा की जावें। जिसके लिए उक्त वाद श्रीमानजी की सेवामें पेश है।

यह कि वादीगण को विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड बनने के बाबत कोई जानकारी नही थी। वादीगण ने विवादित भूमि का नगरपालिका नवलगढ़ से अलग अलग पट्टा बनवाने के लिए आवेदन किया जिसमें पटवारी हल्का की रिपोर्ट करवाने के लिए पटवारी हल्का से मिले तो पटवारी हल्का ने जानकारी दी कि विवादित भूमि आपकी पट्टेशुदा भूमि है परन्तु उक्त भूमि गलती से राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है जिसके खसरा नम्बर 1533 रकबा 0.20 है। इसलिए जब तक राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त नही हो जाता तब तक पट्टा जारी नही किया जा सकता है। वादीगण ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड निरस्त कर ठिकानेदार द्वारा जारी पट्टे के आधार पर आबादी में दर्ज करने हेतु निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने इस हेतु इन्कार कर दिया तथा न्यायालय का निर्णय लाये जाने पर ही दुरूस्ती करने का अभिवचन किया फलस्वरूप उक्त वाद श्रीमानजी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ।

उपखण्ड अधिकारी

यह कि उक्त वाद के लिए वादकारण गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में पट्टशुदा भूमि का कृषि भूमि के रूप में दर्ज होने के रोज, पटवारी हल्का द्वारा इस हेतु जानकारी देने के रोज तथा पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने से इन्कार करने तथा न्यायालय का आदेश लाने के उपरान्त ही रिकॉर्ड में दुरूस्ती करने का अभिवचन करने के रोज अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ वैसे वादी का वाद घोषणा का है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुसार घोषणा के वाद के लिए वादाधिकार हमेशा हरपल रहता है एक खातेदार अपने हिस्से की भूमि की घोषणा के लिए कभी भी वाद प्रस्तुत कर सकता है। यह कि विवादित भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे स्थित है इसलिए श्रीमान को उक्त वाद सुनने का पूरा पूरा श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है।

इसलिय वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वाद पत्र में वर्णित विवादित भूमि जिसका पट्टा संख्या 97 ठिकाना नवलगढ़ द्वारा दिनांक 10.09.1934 को जारी किया गया है जो वादीगण की आबादी भूमि है, को राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से कस्बा नवलगढ़ की सरहद में खाता संख्या 446 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1533 रकबा 0.20 है0 के रूप में दर्ज कर रखा है, का राजस्व रिकॉर्ड निरस्त किया जाकर आबादी भूमि के रूप में दर्ज किया जावें।

वाद वादी पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी कि जारी की गई। प्रतिवादी तहसीलदार नवलगढ की और से पैरो. राज. उपस्थित हो किसी प्रकार का उजर एतराज व्यक्त नही किया।

साक्ष्य वादी में वादी देवकीनंदन पी.डब्लू–1, प्रकाशचन्द्र पी.डब्लू–2 ने मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया तथा अपनी साक्ष्य में पट्टा प्रदर्श ए, गिफट डिड प्रदर्श–3, विक्रय पत्र प्रदर्श 4 लगा. 6, जमाबंदी सम्वत् 2075–78 प्रदर्श–7 प्रदर्शित करवाये है।

बहस पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील वादी ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि विवादित भूमि का पट्टा ठिकाना नवलगढ द्वारा जारी किया गया है, जहॉ पट्टा जारी कर दिया गया है वहॉ वह भूमि आबादी की होगी पट्टा जारी करने के उपरान्त भूमि को कृषि भूमि के रूप में दर्ज किया जाना गलत है। पट्टा जिसके नाम से जारी किया गया है वह उसका स्वामित्वधारी है। पट्टाधारी के अतिरिक्त किसी अन्य के नाम दर्ज किया जाना गलत है, इससे कोई स्वामित्व अर्जीत नही होता है। वकील वादीगण ने दौराने बहस ध्यान आकर्षित करवाया की पट्टे की चतुर्थ सीमा में उत्तर व पश्चिम में सरकारी जमीन का उल्लेख है जो ठिकाने ने अन्य दे दी, दक्षिण मे रास्ता सदर स्टेशन तथा पूर्व में हजारीमल, बजरंगलाल साहा का उल्लेख है। वादीगण ने अपने साक्ष्य में विक्रय पत्र प्रदर्श 4 लगा. 6 पेश किये है। पूर्व दिशा में हजारी मल , बजरंगलाला की भूमि थी

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

वह हजारी मल , बजरंग लाल से सीताराम , भोलाराम , गोपाल, बाबूलाल ने खरीदी, तथा इससे वादीगण की माता ने क्रय की है, विक्रय पत्रों में पूर्व दिशा में भी वादीगण के पिता बुद्वराम की भूमि अंकित की है। गिफट डीड प्रदर्श –3 में भी पट्टाधारक लक्ष्मीनारायण के वारिसान ने भूमि भूमि वादीगण की माता को दी है जो विवादित भूमि के पट्टाशुद्वा होने तथा विवादित भूमि ही इसी पट्टे की होना साबित है। वादीगण ने अपने वाद को स्वीकार करने के समर्थन में डीएनजे 2021 (3) पेज नं. 1074 राजस्थान सरकार बनाम एल आर एस तेजसिंह पेश किया।

विद्वान वकील वादी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत बहस दस्तावेज व न्यायिक दृष्टांत उचित प्रतीत होते हें वादीगण द्वारा प्रस्तुत पट्टा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का है तथा राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय जारी पट्टे को नजर अंदाज किया गया है। पट्टा रधुनाथ व लक्ष्मीनारायण के नाम से है, वादीगण रूघनाथ के उत्तराधिकारी है तथा लक्ष्मीनारायण के वारिसानों से जरिये गिफट डीड वादीगण की मता ने प्राप्त किया है। वादीगण की माता की मृत्यु उपरान्त वादीगण सम्पूर्ण भूमि के स्वामी व मालिक है। फलस्वरूप वादीगण का वाद मुताबिक दस्तावेज एंव पेश किये गये साक्ष्य के आधार पर साबित पाया जाता है। इसलिये वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## :: आदेश ::

लिहाजा वाद वादीगण पत्रावली में पेश दस्तावेजों, साक्ष्य शपथ पत्र तथा वादपत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

कस्बा नवलगढ़ की सरहद में खाता संख्या 446 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1533 रकबा 0.20 है0 की वर्तमान मे दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर, वादीगण की आबादी भूमि घोषित की जाती है, तथा गलत रूप से दर्ज राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुये आबादी भूमि (नगरपालिका क्षेत्र नवलगढ़) का राजस्व रिकॉर्ड दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमलदरामद करे। सुलभ संदर्भ हेतु वादपत्र मय शपथपत्र व उसके साथ संलग्न नक्शा उक्त आदेश का भाग होगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सुशील कुमार सैनी)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी )

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ**

**श्री सुशील कुमार सैनी ( आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.**

जीसीएमएस नं. 2025/297

मुकदमा नम्बर 92/2025 दावा दर्ज दिनांक–28.05.2025

1. देवकी नन्दन पुत्र बुद्वराम जोशी
2. दलीप कुमार पुत्र बुद्वराम जोशी
3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बुद्वराम जोशी
4. प्रकाशचन्द पुत्र बुद्वराम जोशी समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण पोदार कॉलेज के सामने नवलगढ,तहसील नवलगढ, जिला झुझुनूं

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–प्रतिवादी

## दावा – घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

## (डिक्री)

**यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री सुशील कुमार सैनी ( आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।**

वाद वादीगण पत्रावली में पेश दस्तावेजों, साक्ष्य शपथ पत्र तथा वादपत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

कस्बा नवलगढ़ की सरहद में खाता संख्या 446 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1533 रकबा 0.20 है0 की वर्तमान मे दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर, वादीगण की आबादी भूमि घोषित की जाती है, तथा गलत रूप से दर्ज राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुये आबादी भूमि (नगरपालिका क्षेत्र नवलगढ़) का राजस्व रिकॉर्ड दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमलदरामद करे। सुलभ संदर्भ हेतु वादपत्र मय शपथपत्र व उसके साथ संलग्न नक्शा उक्त आदेश का भाग होगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

**जन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–..... .....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।**

**बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 19 माह 09 सन 2025 को जारी की गई।**

उपखण्ड अधिकारी

**उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ**

| मुद्दई | रूपया पैसे | मुद्दासलह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 04.00 | स्टाम्प अर्जी दावा | 0.00 |
| वकालतनामा स्टाम्प | 01.00 | स्टाम्प वकालतनामा | 0.00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | – | स्टाम्प अर्जी | – |
| महनताना वकील | – | महनताना वकील | – |
| खर्चा गवाहान | – | खर्चा गवाहान | – |
| फीस कमिश्नर | – | फीस कमिश्नर | – |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | – | बाबत इजराय हुक्मनामा | – |
| मुतफरिक मिजान | 0.00 | मुतफरिक मिजान | 0.00 |